प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रूपये 20,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.12.2022 को थाना को0 देहात पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ राम आशीष गुप्ता पुत्र नकछेद नि0 लोढियाघाटा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई थी।

दोषसिद्धि का विवरण–

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 देहात में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना व थाना को0 देहात के पैरोकार का0 विशाल कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 16.09.2026 को दोषी अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ राम आशीष गुप्ता को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 कारावास व 20,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण–

01. आशीष कुमार उर्फ राम आशीष गुप्ता पुत्र नकछेद नि0 लोढियाघाटा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–563/2022 धारा 354,506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.04.2026 को थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत बग्गी रोड स्थित न्यू मेडलाइड हॉस्पिटल में सत्यप्रकाश शुक्ला का कुछ व्यक्तियों से विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के बाद विपक्षीगण द्वारा अन्य व्यक्तियों को मौके पर बुलाया गया। सत्यप्रकाश द्वारा अपने मामा आनन्द कुमार पाण्डेय को फोन कर विवाद की जानकारी दी गई, जिस पर आनन्द कुमार पाण्डेय मौके पर पहुंचे तथा बीच-बचाव का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपित व्यक्तियों द्वारा आनन्द कुमार पाण्डेय एवं सत्यप्रकाश शुक्ला के साथ मारपीट करते हुए लोहे की रॉड एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल आनन्द कुमार पाण्डेय को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सत्यप्रकाश शुक्ला को गंभीर अवस्था में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। प्रकरण में परिजन की तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा घटना के संबंध में मु0अ0सं0-111/2026 उपरोक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। दिनांक 16.09.2026 को पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त त्रिभुवन शुक्ला इन्दईकपुरवा मोड़ स्थित नहर पुलिया के पास किसी वाहन की प्रतीक्षा में खड़ा है तथा कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. त्रिभुवन शुक्ला पुत्र सन्तोष शुक्ला, निवासी ग्राम ईन्टईपुरवा, मौजा रुद्रगढ़ नौसी थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0-111/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 109(1), 110, 352, 118(2), 61(2), 3(5) बीएनएस थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष विपुल कुमार पाण्डेय थाना धानेपुर
2. हे0का0 आनन्द प्रकाश यादव
3. आरक्षी गुंजन मिश्रा
4. हे0का0 प्रेम प्रजापति चालक।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2026

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2026 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग लडकी को अभियुक्त विवेक मिश्रा द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। प्रकरण में परिजन की तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना छपिया पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। दिनांक 16.09.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन तिराहा, बभनान बाजार से अभियुक्त विवेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। थाना छपिया पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विवेक मिश्रा पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी विछिया मिश्र, थाना पैकोलिया, जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 342/2026, धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 घनश्याम वर्मा
2. हे0का0 अरबिन्द कुमार।
3. का0 दीपक।

मीडिया सेल, गोण्डा।